# न्यायालय तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

क्र0सं0 653-654 / R-I 2025

दिनांक 24-09-2025

गैर—मुक्तसी इन्तकाल दुरुस्ती मुकद्दमा नं0 20 / Corr./T/U/2025 केस शीर्षक ओम प्रकाश बनाम राज कुमारी आदि।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पागी''।

1. ओम प्रकाश पुत्र अमर सिंह, वासी डगेडा, तह० व जिला ऊना (हि०प्र०)

बनाम

- 1. गौरव पुत्र जसवन्त सिंह, वासी डगेडा, तह० व जिला ऊना (हि०प्र०)
- 2. निशा कुमारी पुत्री जसवन्त सिंह, वासी डगेडा, तह० व जिला ऊना (हि०प्र०)
- 3. कमलेश देवी विधवा जसवन्त सिंह, वासी डगेडा, तह० व जिला ऊना (हि०प्र०)

बजरिया जमादार तहसील कार्यालय ऊना।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र अमर सिंह, वासी डगेडा, तह0 व जिला ऊना (हि0प्र0) ने नम्बर 1503/1 जो गैरमरूसी का इंतकाल हुआ था इंतकाल नम्बर 701 वह दुरुस्त न ह जसमें ओम प्रकाश का नाम इंतकाल में दर्ज न किया गया है इंतकाल में नाम दर्ज व दुरुसत करने का प्रार्थना—पत्र दिया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण समन से तामील न हो पा रहे हैं।

अतः इस अदालत द्वारा इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश, मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28—10—2025 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आवे। अन्यथा गैर—हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – तहसीलदार एवं भू–सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।

\_\_\_\_\_

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि०प्र०)

मिसल नं0 : 23 / Corr./T/U/2025 किरम मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशीः 25—10—2025

श्री अवतार सिंह पुत्र पाला राम, वासी कोटला खुर्द, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र०

ं वादी।

आम जनता प्रतिवादी।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश ''मुश्त्री मुनादी'' व चस्पांगी।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री अवतार सिंह पुत्र पाला राम, वासी कोटला खुर्द, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल/ उप—महाल कोटला खुर्द में अवतार कृष्ण पुत्र पाला राम दर्ज है, जबिक मेरा सही नाम अवतार सिंह पुत्र पाला राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नाम अवतार सिंह पुत्र पाला राम किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, पत्र नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस ''इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 25—10—2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 24-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि०प्र०)

मिसल नं0 : 24 / Corr./T/U/2025 किरम मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशीः 27—10—2025

श्रीमती किरणा रानी पत्नी दिलदार सिंह, वासी वार्ड नं० 1, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० ंवादिया।

बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादी ।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश ''मुश्त्रो मुनादी'' व चस्पांगी।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती किरणा रानी पत्नी दिलदार सिंह, वासी वार्ड नं० 1, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल / उप—महाल गलुआ (ऊना) में किरण राणा पत्नी दिलदार सिंह दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम किरणा रानी पत्नी दिलदार सिंह है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नाम किरण राणा उर्फ किरणा रानी पत्नी दिलदार सिंह किया जाए। प्रार्थिया का शपथ पत्र, आधार कार्ड, पत्र नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस ''इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 27–10–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Manpreet age 23 years s/o Sh. Shamsher Singh, r/o Village Paned, P.O. Thanakalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
- 2. Damni age 27 years d/o Sunil, r/o Village & P.O. Jahan Khelan, Tehsil & District Hoshiarpur, Punjab . . *Applicants*.

Versus

## General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Manpreet s/o Sh. Shamsher Singh, r/o Village Paned, P.O. Thanakalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Damni d/o Sunil, r/o Village & P.O. Jahan Khelan, Tehsil & District Hoshiarpur, Punjab at present wife of Sh. Manpreet s/o Sh. Shamsher Singh, r/o Village Paned, P.O. Thanakalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-04-2025 at r/o Village Paned, P.O. Thanakalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-10-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18th September, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

# In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Deep Kumar age 33 years s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Malangar Miyan, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
- 2. Sushma Devi age 33 years d/o Hukam Chand, r/o Village Bukhar, P.O. Nagiar, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) . . . *Applicants*.

#### Versus

## General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Deep Kumar s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Malangar Miyan, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Sushma Devi d/o Hukam Chand, r/o Village Bukhar, P.O. Nagiar, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) at present wife of Sh. Deep Kumar s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Malangar Miyan, P.O. Malangar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-04-2025 at Mata Jamasani Devi Temple, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-10-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th September, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.